प्रेस नोट 24/11/2021

दिनांक 09.11.2021 को थाना चिरैयाकोट क्षेत्रान्तर्गत हुयी लूट का सफल अनावरण, पुलिस मुठभेड़ में 05 शातिर लुटेर गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी व घटना में प्रयुक्त 04 मोटरसाईकिलें, लूट के रुपये एवं 04 तमंचा व जिंदा/खोखा कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी/स्वाट/थाना चिरैयाकोट पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 24.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भैंसही पुल के पास पुलिस मुठभेड़ में 05 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट/चोरी व घटना में प्रयुक्त 04 मोटरसाईकिलें, लूट के रुपये एवं 04 तमंचा व जिंदा/खोखा कारतूस बरामद किया गया।

कड़ाई से पूछताछ के दौरान बताया गया कि दिनांक 9.11.2021 को रात्रि करीब 10 बजे मघईपुर सरसेना में गाजीपुर चिरैयाकोट मुख्य मार्ग से एक व्यक्ति से हमने मिलकर उसे डण्डे से मारकर उससे यह मो0साइकिल व एक मोबाइल रेडमी नोट 8 प्रो तथा पर्स जिसमें 4000 रू0 एटीएम कार्ड वगैरह था लूटे थे। पर्स में मिले 4000रू– को आपस में 1000–1000 रू0 बांट लिये थे तथा पर्स को जिसमें एटीएम कार्ड आदि सामान था उसे नदी में फेंक दिया था लूटी गई मोटरसाइकिल यूपी 61 एवी 5075 का नंबर प्लेट बदलकर (यूपी 65 सीबी 8443) लगाकर चल रहे थे। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि साहब अजय यादव, दीपक कन्नौजिया, अरविन्द यादव तथा अभिषेक यादव चारो लोग मिलकर चोरी और लूट की घटना को अंजाम देते है तथा लूट की योजना श्रवण कुमार पाल बनाता है। और लूट और चोरी की घटना करने के लिये अपनी मोटरसाइकिल भी हम लोगों को देता है। चोरी/लूट मे जो सामान या गाड़ी मिलती है उसे बेचने से जो रूपये मिलते है उसमें श्रवण कुमार पाल को भी हिस्सा दिया जाता है। आज हम सभी लोग काझा, बनदेवी की तरफ जा रहे थे कोई भी अकेले व्यक्ति मिलता तो उससे हमलोग लूट करके गाजीपुर चले जाते आज के घटना करने जाने की सजिश श्रवण ने ही रचि थी। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 201/21 धारा 307,411 भादवि मु0अ0सं0 202,203,204/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 09.11.2021 को घटित घटना के सम्बन्ध में थाना चिरैयाकोट में मु0अ0सं0 193/21 धारा 394 भादवि में अभियोग पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तारी व बरामदगी के पश्चात सम्बन्धि अभियोग में धारा 120बी, 411, 420, 467, 468, 471 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. अजय यादव पुत्र धनंजय यादव निवासी बरही थाना मरदह जनपद गाजीपुर।
2. दीपक कन्नौजिया पुत्र शैलेन्द्र कन्नौजिया फत्तेपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर।
3. अभिषेक यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी फत्तेपुर थाना कासिमाबाद गाजीपुर।
4. अरविंद यादव पुत्र सर्वदेव निवासी बाबू लाल का पूरा थाना करीमुद्दीनपुर गाजीपुर।
5. श्रवण कुमार पाल पुत्र विनोद पाल निवासी उचौरी शेखनपुर थाना कासिमाबाद गाजीपुर।

बरामदगी–

1. लूट की अपाची मो0साईकिल (यूपी 61 एवी 5075)।
2. घटना में प्रयुक्त 02 मो0सा0 सफेद अपाची (यूपी 61 एएन 5898) व (यूपी 61 एएस 9963)।
3. स्प्लेंडर (यूपी 60 डब्लू 1268)।
4. 04 तमंचा 315 बोर।
5. 04 जिंदा/02 मिस व 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
6. लूट के 2000 रुपये।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री आनंद कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी टीम मय हमराहियान।
उपनिरीक्षक श्री एस0एन0 यादव, प्रभारी स्वाट टीम मय हमराहियान।
उपनिरीक्षक श्री अमित कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष चिरैयाकोट मय हमराहियान।
आरक्षी विवेक सिंह सर्विलांस सेल।

एक शातिर जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज चाकू बरामद–

थाना घोसी पुलिस द्वार आज दिनांक 24.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर मखदूमपुर मलिक के पास फोरलेन के पास से शातिर जिलाबदर अपराधी प्रकाश पुत्र रामा राजभर निवासी मकदूमपुर मलिक थाना घोसी मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया जो दिनांक 18.08.2021 से 04 महीने के लिये जिलाबदर घोषित किया गया था। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 685,686/21 धारा 10 गुण्डा अधि0 व 4/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक दुराचारी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना कोतवाली पुलिस द्वार आज दिनांक 24.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर आजमगढ़ तिराहे के पास से मु0अ0सं0 314/21 धारा 376,323,504,506 भादवि में वांछित अभियुक्त अमित कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र दीपचंद निवासी अतरसवां थाना दोहरीघाट मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

06 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना मधुबन पुलिस द्वार आज दिनांक 24.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान वारंटी अभियुक्त फुलचंद पुत्र कालीचरन निवासी मेहरियखुंद, धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र रामप्रवेश निवासी भैरोपुर, लाल मोहर पुत्र विन्ध्याचल निवासी दुबारी, प्रकाश बांसफोर पुत्र दूधनाथ निवासी दरगाह, संजय शर्मा पुत्र शिवराज निवासी भैरोपुर थाना मधुबन व थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रामलखन मौर्या पुत्र पतिराज निवासी नगपुर थाना रानीपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 06 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 24.11.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा विरेन्द्र व सूरज जायसवाल निवासी कस्बा दोहरीघाट, प्रभावती देवी व फूलमती निवासीगण ठिकरैहिया थाना दोहरीघाट एवं थाना मधुबन पुलिस द्वारा पवन यादव निवासी नेवादा व आदिल निवासी दुबारी मोड़ थाना मधुबन मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।